छत्तीसगढ़ सूचना आयोग

<u>शिकायत प्रकरण क्रमांक 423/2006</u>

श्री राकेश चौबे, ... आवेदक
10/226, फौव्वारा चौक, सक्ती
बाजार, रायपुर (छ.ग.)

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी .... अनावेदक
कार्यालय–अध्यक्ष/सचिव
राष्ट्रीय विद्यालय समिति
कचहरी चौक, रायपुर (छ.ग.)

:: आदेश ::
(12 सितम्बर 2006)

श्री राकेश चौबे के द्वारा आयोग के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की गई कि उसके द्वारा राष्ट्रीय विद्यालय समिति के सचिव से जानकारी आवेदन पत्र दिनांक 16.05.06 के द्वारा चाही गई थी। आवेदक ने अपने आवेदन पत्र में श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय के प्राध्यापकों डॉ शिखा मित्रा, डॉ नेहा दीवान, श्रीमती मधुलकर चौबे, श्रीमती किरण पांडे, श्रीमती स्मृति अग्रवाल एवं कु. मोनिका अवधिया की नियुक्ति से संबंधित, उनकी नियुक्ति/वेतनमान/सर्विस बुक, भविष्य निधि आदि से संबंधित दस बिन्दुओं पर जानकारी चाही थी। उसके द्वारा यह बतलाया गया कि उसे दिनांक 19.06.06 तक जानकारी प्राप्त नहीं हुई। दूरभाष पर संपर्क करने पर सचिव के द्वारा बतलाया गया कि समिति अनुदान प्राप्त संस्था नहीं है अतः जानकारी देने हेतु बाध्य नहीं है अतः उसने आयोग के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया।

2. आयोग के द्वारा संबंधित समिति से प्रतिवेदन मांगा गया। समिति के द्वारा कोई जवाब न आने से अनावेदक समिति को नोटिस जारी किया गया। अनावेदक की ओर से श्री एस.के. महोबिया, अभिभाषक उपस्थित हुए। प्रकरण में दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया गया एवं तर्क सुना गया। आवेदक ने अपने तर्क में बतलाया कि राष्ट्रीय विद्यालय समिति अनुदान प्राप्त संस्था है। इस संबंध में आवेदक ने अशासकीय अनुदान प्राप्त शालाओं को वित्तीय वर्ष 2005–06 में प्राप्त शालाओं की सूची प्रस्तुत की जिसमें कि राष्ट्रीय उच्चतर माध्यमिक शाला, रायपुर को आयोजनेत्तर रू. 90,100/– एवं आयोजना के अंतर्गत रू. 8,800/– तथा अतिरिक्त अनुदान रू. 11,000/– दिया जाना बतलाया गया। आवेदक ने महाविद्यालय से संबंधित अनुदान के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय को 55,488/– रूपये का अनुदान स्वीकृत होने का पत्र भी प्रस्तुत किया। आवेदक के द्वारा इस संबंध में एक शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया जिसमें कि

उल्लेख किया गया कि अशासकीय महाविद्यालय के संचालन के लिए ही समिति का गठन किया गया है अतः महाविद्यालय को प्राप्त अनुदान को राष्ट्रीय विद्यालय का माना जाकर राष्ट्रीय विद्यालय समिति को पूर्णतः अनुदान प्राप्त संस्था माना जाना चाहिए क्योंकि समिति के ही प्रस्ताव पर अशासकीय महाविद्यालय को अनुदान प्राप्त होता है। अनावेदक के द्वारा अपने जवाब में बतलाया गया कि समिति को शासन से कोई अनुदान की प्राप्ति नहीं होती है अतः अधिनियम की धारा 2 के अंतर्गत समिति वित्त पोषित संस्था नहीं है। अनुदान महाविद्यालय को प्राप्त होता है और महाविद्यालय ही उस अनुदान का उपयोग करने एवं उसका हिसाब रखने के लिए जवाबदार है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भी प्राचार्य के नाम पर ही अनुदान दिया है। अनावेदक के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ के रिट पिटीशन नं. 6007/05 में दिये गये आदेश की सत्यप्रति की छायाप्रति प्रस्तुत की। अनावेदक ने यह बतलाया कि अभिलेख जिसकी कि मांग की गई है वह समिति के संरक्षण में नहीं है वरन् प्राचार्य के ही संरक्षण में है अतः समिति अभिलेख दिये जाने में सक्षम नहीं है।

3. प्रकरण से स्पष्ट है कि समिति के द्वारा संचालित महाविद्यालय एवं राष्ट्रीय उच्चतर माध्यमिक शाला एवं राष्ट्रीय प्राथमिक शाला एवं श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा महाविद्यालय को विभिन्न मदों में शासन/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान प्राप्त हुआ किन्तु ये सभी अनुदान के चेक प्राचार्य के नाम से ही जारी किये गये हैं। समिति के सचिव अथवा अध्यक्ष के पद नाम से अनुदान प्राप्त नहीं हुआ चूंकि प्रत्येक संस्था के अभिलेख पृथक–पृथक रखे जाते हैं। शासन से प्राप्त अनुदान सीधे प्राचार्य को प्राप्त होता है तथा महाविद्यालय के ही लेखे में जमा होता हे। महाविद्यालय से संबंधित अभिलेख भी महाविद्यालय के प्राचार्य एवं कर्मचारियों के पास ही हैं। अतः आवेदक को महाविद्यालय के प्राचार्य को ही अथवा महाविद्यालय के जन सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र देना चाहिए। प्राचार्य श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वे महाविद्यालय में सात दिन के अंदर सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी नियुक्त करें तथा यदि आवेदक का आवेदन पत्र निर्धारित शुल्क के साथ प्राप्त होता है तो आवेदक को नियमानुसार अभिलेख की निर्धारित फीस जमा कराने की सूचना दी जावे तथा फीस जमा होने पर निर्धारित अवधि में जानकारी प्रदान की जावे। इस आदेश की प्रति प्राचार्य प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय को भेजी जावे।

4. उक्त निर्देश के साथ प्रकरण का निराकरण किया जाता है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
मुख्य सूचना आयुक्त